न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 276/2024

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. अर्जुनराम पुत्र भरमलराम 2. गोपाराम पुत्र सोडाराम 3. जबरूराम पुत्र सोडाराम 4. नवलाराम पुत्र जोधाराम 5. पतराम पुत्र सोडाराम 6. फरसाराम पुत्र भरमलराम 7. बगडुराम पुत्र फुलाराम 8. बंशीराम पुत्र आसुराम 9. भंवरलाल पुत्र भरमलराम 10. मनोहरलाल पुत्र भरमलराम 11. मंगीलाल पुत्र दोलाराम 12. मोहनराम पुत्र माधाराम (जाति विश्नोई, निवासी सांवरिज तह0 फलौदी जिला फलौदी)		राज0 सरकार जरिये तहसीलदार फलौदी, जिला फलौदी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी फलौदी आदेश कमांकः कोर्ट/195/2023 दिनांक 1910.23

उपस्थिति –
1. श्री सिद्धार्थ परिहार, प्रेमकुमार विश्नोई वकील अपीलांट
2. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से

निर्णय

दिनांक 01.10.2024

प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य मुख्यतः इस प्रकार से है कि उपखण्ड अधिकारी फलौदी के अपीलाधीन आदेश के द्वारा तहसीलदार फलौदी के पत्र कमांक 1312 दिनांक 21.8.23 द्वारा प्रस्तावित राजस्व ग्राम अणदरा नाडा के खसरा नम्बर 76/1 की भूमि में रास्ते में उपयोग हो रही उल्लेखित हैक्टर भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता परिवर्तित करने एवं नक्शा (लटठा) ट्रेस में दुरस्ती एवं राजस्व रेकर्ड में विद्यमान कदीमी रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जो न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी। दौरान सुनवाई वकील अपीलांट ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि ग्राम सांवरिज के खसरा नं0 76/1 की भूमि अपीलार्थीगण एवं अन्य अभिलिखित खातेदारों की खातेदारी भूमि है। इस खसरान की भूमि के संबंध में न्यायालय सहायक कलेक्टर फलौदी में विभाजन का वाद चल रहा है, जिसमें दिनांक 5.7.16 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं विभाजन का प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार कर दिनांक 28.3.17 को पेश किया गया। विभाजन के प्रस्ताव में नियमानुसार रास्ते आदि का प्रावधान रखा गया है। वाद में कुछ पक्षकारान फौत हो जाने से उनकी नाम कायमी में पत्रावली लंबित है, अर्थात अंतिम डिक्री जारी नही हुई है। इस दौरान तहसीलदार फलौदी के प्रस्ताव पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश की पालना में प्रस्तावित रास्ते की भूमि नक्शें में तरमीम कर दी गई। जिसमें उक्त खसरान के दो टुकडे कर दिये जाने के कारण विभाजन का वाद एवं प्रस्ताव दोनो निष्फल हो जावेगें। मौके पर जिस स्थान पर रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया गया है, वहां कोई रास्ता चालू नही है व विभाजन के प्रस्ताव में रास्ते के प्रावधान से भिन्न है। इसके अलावा अपीलाधीन आदेश वादग्रस्त खसरान के अभिलिखित खातेदारों को बिना नोटिस एवं सुनवाई का अवसर दिये पारित किया गया है। आरएलआर एक्ट की धारा 131 के तहत इस तरह से रास्ता दर्ज करने या भूमि की किश्म परिवर्तित करने का अधीनस्थ न्यायालय को अधिकार नही है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि प्रकरण में तहसीलदार फलौदी ने रास्ते संबंधित समस्याओं का निराकरण अभियान–2023 में ग्राम अणदरा नाडा में मौके पर चालू कदीमी रास्ते का राजस्व रेकर्ड में अंकन करने का प्रस्ताव खातेदारों की सहमति से भिजवाया गया व ग्राम वासियों द्वारा डाम्बर सडक निर्माण की मांग की जा रही है। तथापि प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मतः निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त कार्यवाही तहसीलदार फलौदी से प्राप्त प्रस्ताव कर की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित खातेदारों को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नही दिया जाना पाया गया। इसके अलावा हस्तगत अपील में वकील अपीलांट्स का मुख्य कथन यह है कि वादग्रसत खसरा नं0 76/1 की भूमि के संबंध में न्यायालय सहायक कलेक्टर फलौदी में विभाजन का वाद चल रहा है व विभाजन के प्रस्ताव में नियमानुसार रास्ते आदि का प्रावधान रखा गया है। अपीलाधीन आदेश से घोषित रास्ता भिन्न होने से विभाजन के वाद एवं प्रस्ताव दोनो निष्फल हो जावेगें। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी फलौदी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश कमांकः कोर्ट/195/2023 दिनांक 19.10.23 को निरस्त कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट्स एवं सभी संबंधित खातेदारों को नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण एवं मौका फर्द तैयार करवाकर, यदि मौके पर रास्ता चालू है तो उसे बंद किये बिना, उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान कर, पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 01 अक्टूबर, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

01.10.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर